Session Trial-427/2022
(1)

फार्म – ए

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायधीश एकादश्, सारण, छपरा

उपस्थित –अम्बिका प्रसाद चौधरी

जिला एवं अपर सत्र न्यायधीश एकादश्, सारण, छपरा

निर्णय का दिनांक : 26.03.2026

सत्र वाद संख्या : 427 / 2022

निबंधन सं0 : 427 / 2022

पानापुर थाना काण्ड संख्या–130 / 2022 अंतर्गत धारा–413 / 414 / 34 भा0द0वि0

परिवादी / सूचक	राज्य द्वारा विकास कुमार सिंह, थानाध्यक्ष पानापुर, जिला सारण
अभियोजन की तरफ से	श्री एस.सी. श्रीवास्तव, विद्वान अपर लोक अभियोजक
अभियुक्त	1. साधू महतो
बचाव पक्ष की तरफ से	श्रीमति रेणु सिंह (विद्वान अधिवक्ता)

फार्म – बी

घटना की तारीख	15.05.2022
प्राथमिकी की तिथि	15.05.2022
आरोप पत्र समर्पित किये जाने की तिथि	30.06.2022
आरोप गठित किये जाने की तिथि	05.09.2022
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	21.08.2023
निर्णय में नियत किये जाने की तिथि	18.03.2026
निर्णय की तिथि	26.03.2026
दण्ड आदेश पारित किये जाने की तिथि	कुछ नहीं

Session Trial-427/2022
(2)

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त संख्या	1
अभियुक्त का नाम	साधू महतो, पिता–बबन महतो, निवासी– रहीमपुर, थाना–मढ़ौरा, जिला–सारण
गिरफ्तारी की तिथि	16.05.2022
जमानत पर मुक्त किये जाने की तिथि	04.08.2022
आरोपित धारा	अंतर्गत धारा– 413/414/34 भा0द0वि0
क्या अभियुक्तगण दोषमुक्त किया गया है या दोष–सिद्ध किया गया है	दोष मुक्त किया गया है।
अधिरोपित दण्ड	दोष मुक्त किया गया है।
विचारण के क्रम में कारा में बिताई गई अवधि अंतर्गत धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रयोजन के लिये	अभियुक्त को दोष मुक्त किया गया है इसलिए लागू नहीं होता है

निर्णय

1. प्रस्तुत मामले में अभियुक्त का विचारण आरोप अंतर्गत धारा– 413/414/34 भा0द0वि0 के आरोप के लिए किया गया ।

2. अभियोजन का संक्षेप में कथन यह है कि दिनांक 15.05.2022 को 20:00 बजे गुप्त सूचना मिली कि मशरक तरफ दो चोरी की मोटर साईकिल लेकर रसौली की तरफ आ रहे हैं। इस सूचना का सनहा दर्ज कर थाने में पदस्थापित पु0स0अ0नि अरविन्द कुमार बीएमपी सिपाही नं0 379 अमर लाल साह, बीएमपी सि0–213 श्यामबाबू, बीएमपी सि0–860 धर्मपाल यादव को सूचना से अवगत कराते हुए सरकारी वाहन से प्रस्थान किया। करीब 20:20 बजे रसौली बिन्द टोली पहुंचा तथा वाहन चेकिंग प्रारंभ किया। करीब आधे घंटे बाद दो मोटर साईकिल मशरक की तरफ से रसौली आ रहे थे जिसे पुलिस द्वारा रोकने को इशारा किया गया। पुलिस को देखकर दोनों मोटर साईकिल सवार मोटर साईकिल को घुमाकर मशरक की तरफ भागने का प्रयास किया जिसे पुलिस द्वारा घेरकर पकड़ा गया। दोनों पकड़ाये व्यक्ति से नाम–पता पूछने पर अपना नाम क्रमशः 1. रितेश कुमार

उपाध्याय, उम्र 19 वर्ष, पे0 देवेन्द्र उपाध्याय सा0–धनौती, थाना पानापुर, जिला सारण बताया 2. साधू महतो उम्र–34 वर्ष, पे0 बबन महतो सा0–रूप रहीमपुर, थाना मढ़ौरा, जिला सारण बताया। रितेश कुमार उपाध्याय के पास एक स्पलेन्डर प्लस मोटर साईकिल जिस पर रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित नहीं है, चेचिस नं0 MBLHAW123MHD14951 एवं ईंजन नं0 HA11EDMHD00281 तथा साधू महतो के पास से एक स्पलेन्डर प्लस मोटर साईकिल बरामद हुआ जिस पर रजिस्ट्रेशन नम्बर BR04Z-5021, ईंजन नम्बर HA10AGJHBA6008 है तथा चेचिस नम्बर पूरी तरह से मिटाया हुआ है। पकड़ाये दोनों से मोटर साईकिल का वैद्य कागजात की मांग की तो दोनों में से किसी ने वैद्य कागजात प्रस्तुत नहीं किया और नही कोई संतोषजनक जवाब दिय। बरामद दोनों मोटर साईकिल का दो स्वतंत्र साक्षी 1. हरेराम रावत पे0 स्व0 चन्द्रिका रावत, 2. अर्जुन कुमार पे0 राम किशोर रावत दोनों सा0–रसौली बिन्द टोली, थाना–पानापुर, जिला सारण के समक्ष विधिवत जप्ती सूची बनाकर जप्त किया जिस पर दोनों स्वतंत्र साक्षियों ने स्वेच्छा से हस्ताक्षर बना दिया। जप्ती सूची की एक–एक प्रति पकड़ाये दोनों व्यक्तियों को दी गयी। पूछताछ के क्रम में रितेश कुमार ने बताया कि उसने यह मोटर साईकिल संतोष कुमार यादव पे0 सिकन्दर यादव सा0 भुआलपुर, थाना मढ़ौरा, जिला सारण से 20,000/– (बीस हजार रूपये) में खरीदा था तथा साधू महतो ने बताया कि उसने यह मोटर साईकिल राहुल महतो पे0 भुनेश्वर महतो, सा0 रूप रहीमपुर, थाना मढ़ौरा, जिला सारण से दस हजार (10,000/–) रूपया में खरीदा था। मोटर साईकिल की चोरी कर खरीद–बिक्री करने के आरोप में धारा–413/414/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत 1. रितेश कुमार उपाध्याय, 2. साधू महतो, 3. सतोष कुमार यादव एवं 4. राहुल कुमार को आरोपित करते हुए पकड़ाये रितेश कुमार उपाध्याय एवं साधू महतो को विधिवत गिरफ्तार किया तथा घ ाटनास्थल पर सूरतेहाल प्रतिवेदन तैयार किया ताकि माननीय न्यायालय में विचारण हो सके।

3. सूचक थानाध्यक्ष के स्वलिखित ब्यान के आधार पर पानापुर थाना काण्ड संख्या–130/2022 अंतर्गत धारा–413/414/34 भा0द0वि0 में दिनांक 15.05.2022 को पंजीकृत हुआ। जिसमें विवेचना के उपरांत विवेचक ने घटना को सत्य पाते हुए एवं पूरक अनुसंधान जारी रखते हुए अभियुक्त साधू महतो के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया जिसके आधार पर विद्वान अपर मुख्य न्यायिक

दण्डाधिकारी द्वितीय, सारण द्वारा संज्ञान अंतर्गत धारा 413/414/34 भा0द0वि0 में लेकर दिनांक 17.08.2022 को वाद को सत्र विचारण हेतु दौरा सुपूर्द किया गया। प्रस्तुत मामले में एक मात्र अभियुक्त का विचारण किया जा रहा है।

4. दिनांक–05.09.2022 को अभियुक्त के विरूद्व आरोप अंतर्गत धारा 413/414/34 भा0द0वि0 में गठित करके अभियुक्त को हिन्दी में पढ़कर सुनाया गया जिससे अभियुक्त ने इंकार किया एवं विचारण का दावा किया।

5. अभियोजन साक्ष्य के पश्चात् अभियुक्त का बयान अंर्तगत धारा 313 द0प्र0सं0 के अंकित किया गया जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन के साक्ष्य से इन्कार किया एवं अपने को किसी भी घटना में सम्मिलत होना नहीं बताया।

6. बचाव पक्ष का मुख्य रूप से यह कथन है कि अभियुक्त द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है, अभियुक्त को मुकदमा में झूठा फंसाया गया है।

7. अब मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि, क्या अभियोजन अभियुक्त पर लगाए गए आरोपो को युक्ति–युक्त संदेह के छाया के परे साबित करने में सफल रहा है?

<u>अभिमत</u>

8. विचारण के क्रम में अभियोजन के तरफ से कुल चार साक्षी का साक्ष्य कराया गया है। अभियोजन साक्षी सं0 1 विकास कुमार सिंह, साक्षी सं0 2 श्याम बाबू, साक्षी सं0 3 धर्मपाल यादव, साक्षी सं0 4 अमरनाथ साह का साक्ष्य कराया गया है एवं दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में स्वलिखित ब्यान पर सूचक थानाध्य क्ष विकास कुमार सिंह के लिखावट एवं हस्ताक्षर को प्रदर्श पी–1 एवं जप्ती सूची को प्रदर्श पी–2 अंकित कराया गया है। बचाव पक्ष की तरफ से सफाई साक्ष्य के क्रम में न तो मौखिक साक्ष्य और न ही दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है।

9. मैनें उभय पक्षों के तर्को को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख पर प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त पर लगाए गए आरोप अंतर्गत धारा 413/414/34 भा0द0वि0 की विवेचना की जा रही है।

<u>अभियोजन साक्षी सं0 1</u> विकास कुमार सिंह परीक्षित हुए हैं, जिन्होनें अपने मुख्य परीक्षण के क्रम में कहा है कि यह घटना दिनांक 15.05.2022 की है। उस वक्त लगभग 20:00 बज रहे थे। उस वक्त में पानापुर थाना में थानाध्यक्ष के पद पर पदस्थापित था। तभी गुप्त सूचना मिली कि दो व्यक्ति मशरख की तरफ से दो

चोरी की मोटरसाईकिल लेकर मशरख से रसौली की तरफ आ रहे है। इस सूचना का सनहा दर्ज कर थाना में पदस्थापित ए.एस.आई अरविन्द कुमार, बी.एम.पी के जवान अमर कुमार साह, श्याम बाबू, धर्मपाल के साथ रसौली के लिए प्रस्थान किया। करीब 20:20 बजे रसौली बीनटोली पहुंचे, वाहन चेकिंग प्रारंभ किया। करीब आधा घंटा के बाद दो व्यक्ति दो मोटरसाईकिल लेकर रसौली की तरफ आ रहे थे जिन्हें रोकने का प्रयास किया तो पुलिस को देखकर ये लोग भागने का प्रयास करने लगे जिन्हें घेरकर पकड़ा गया। पकड़ाए व्यक्ति से नाम–पता पूछने पर उसने अपना नाम रितेश कुमार उपाध्याय एवं दूसरे ने साधू महतो बताया। दोनों के पास से दो मोटरसाईकिल बरामद किया गया। रितेश कुमार उपाध्याय के पास से बरामद मोटरसाईकिल पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखा था और साधू महतो के मोटरसाईकिल पर नंबर लिखा था पर चेचिस नंबर मिटा हुआ था। दोनों से जब गाड़ी का कागजात की मांग की गयी तो दोनों के द्वारा कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। बरामद दोनों गाड़ी का दो स्वतंत्र साक्षी हरेराम रावत और अर्जुन कुमार के समक्ष विधिवत जप्ती सूची बनाकर जप्त किया गया। पूछताछ में रितेश कुमार ने बताया कि वह मोटरसाईकिल संतोष यादव से बीस हजार में खरीदा था तथा साधू महतो ने बताया कि वह मोटरसाईकिल राहुल कुमार से दस हजार में खरीदा था। दोनों लड़कों द्वारा चोरी के मोटरसाईकिल रखने और खरीद–ब्रिकी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उसके बाद मैंने उक्त घटना के संबंध में स्वलिखित बयान अंकित किया जिसके आधार पर पानापुर थाना कांड सं० 130/22 दर्ज किया। उस बयान पर मैंने अपना हस्ताक्षर किया। स्वलिखित बयान मेरे ही लिखावट एवं हस्ताक्षर में है जिसे मैं पहचानता हूं। इसे प्रदर्श–पी–1/पी.डब्लू–1 अंकित किया जाता है। जप्त मोटरसाईकिल की जप्ती सूची मेरे द्वारा ही तैयार किया गया था जो मेरे ही लिखावट एवं हस्ताक्षर में है जिसे मैं पहचानता हूं। इसे प्रदर्श–पी–2/पी.डब्लू–1 अंकित किया जाता है। मैं इस कांड के अभियुक्तों को चेहरा देखकर पहचान लूंगा।

प्रतिपरीक्षण के क्रम में साक्षी ने कहा है कि जिस वक्त मुझे घटना के बारे में सूचना मिली थी उस वक्त मैं पानापुर में पदस्थापित था। पानापुर से रसौली आने में लगभग 10 मिनट का समय लगा था। मेरे साथ पदाधिकारी और अन्य पुलिस बल आए थे। मैंने जो मोटरसाईकिल बरामद किया था, उसका रंग मुझे अभी याद नहीं है। मैंने मोटरसाईकिल बरामद किया था, उसकी चौहददी मैं बता

सकता हूँ। इसके उत्तर में कमाक्ष राउत का परती खेत, दक्षिण में लक्ष्मण राय का खेत, पूरब पश्चिक पक्की सड़क है। साधू महतो मढ़ौरा थाना क्षेत्र का निवासी है। उसके बारे में मुझे और कुछ जानकारी नहीं है। दोनों अभियुक्तगण को अलग–अलग पहचान सकता हूं। दोनों अभियुक्तगण द्वारा गाड़ी का कागज मांगने पर प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे पता चला है कि वह गाड़ी चोरी का है। गुप्त सूचना के आधार पर मैं घटनास्थल पर पहुंचा था।

अभियोजन साक्षी सं0 2 श्याम बाबू परीक्षित हुए हैं, जिन्होनें अपने मुख्य परीक्षण के क्रम में कहा है कि दिनांक 15.05.2022 को मैं पानापुर थाना में सिपाही के पद पर पदस्थापित था। उस दिन हमलोग थाना प्रभारी के साथ गस्ती में गये थे। सूचना मिली थी कि चोरी का मोटरसाईकिल निकलने वाली है। सूचना पर हमलोग गये जहां से जांच के कम में दो व्यक्ति दो मोटरसाईकिल के साथ पकड़ा गया। पकड़ाये व्यक्ति ने अपना नाम रीतेश उपाध्याय और साधु महतो बताया। मैं मुदालहों को नहीं पहचानता हूं। अभी न्यायालय में कौन खड़ा है, नहीं जानता हूं।

प्रतिपरीक्षण के क्रम में साक्षी ने कहा है कि आज तक नहीं पहचान पाया कि घटना किसने कारित किया।

अभियोजन साक्षी सं0 3 धर्मपाल यादव परीक्षित हुए हैं, जिन्होनें अपने मुख्य परीक्षण के क्रम में कहा है कि दिनांक 15.05.2022 को मैं पानापुर थाना में सिपाही के पद पर पदस्थापित था। उस दिन हमलोग थाना प्रभारी के साथ गस्ती में गये थे। सूचना मिली थी कि चोरी का मोटरसाईकिल निकलने वाली है। सूचना पर हमलोग गये जहां से जांच के कम में दो व्यक्ति दो मोटरसाईकिल के साथ पकड़ा गया। पकड़ाये व्यक्ति ने अपना नाम रीतेश उपाध्याय और साधु महतो बताया। मैं मुदालहों को नहीं पहचानता हूं। अभी न्यायालय में कौन खड़ा है, नहीं जानता हूं।

प्रतिपरीक्षण के क्रम में साक्षी ने कहा है कि आज तक नहीं पहचान पाया कि घटना किसने कारित किया। उपस्थित अभियुक्त को आज के पहले कभी नहीं देखा है।

अभियोजन साक्षी सं0 4 अमरनाथ साह परीक्षित हुए हैं, जिन्होनें अपने मुख्य परीक्षण के क्रम में कहा है कि दिनांक 15.05.2022 को मैं पानापुर थाना में सिपाही के पद पर पदस्थापित था। उस दिन हमलोग थाना प्रभारी के साथ गस्ती में गये थे। सूचना मिली थी कि चोरी का मोटरसाईकिल निकलने वाली है। सूचना पर हमलोग गये जहां से जांच के कम में दो व्यक्ति दो मोटरसाईकिल के साथ पकड़ा

गया। पकड़ाये व्यक्ति ने अपना नाम रीतेश उपाध्याय और साधु महतो बताया। मैं मुदालहों को नहीं पहचानता हूं। अभी न्यायालय में कौन खड़ा है, नहीं जानता हूं।

प्रतिपरीक्षण के क्रम में साक्षी ने कहा है कि आज तक नहीं पहचान पाया कि घटना किसने कारित किया। उपस्थित अभियुक्त को आज के पहले कभी नहीं देखा है।

10. अभियोजन की तरफ से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अभियोजन द्वारा अभियुक्त पर लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्ति संदेहों के छाया के परे साबित करने में सफल रहा है। अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत सभी साक्षी ने अभियोजन के कथन पर पूरी तरह से समर्थित किया है। इसलिए विचारणरत अभियुक्त को आरोपित धारा में अधिक से अधिक दण्ड दिया जाए।

11. बचाव पक्ष की तरफ से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुए यह कहा गया कि अभियोजन प्रस्तुत मामले में अपने कथन को साबित करने में पूरी तरह से असफल रहा है। अभियोजन की तरफ से परीक्षित सभी साक्षी ने घटना के बारे में कोई साक्ष्य नहीं दिया है। इसलिए विचारण के अभियुक्त को प्रस्तुत मामले में दोषमुक्त किया जाए।

उभय पक्षों के तर्कों को सुना। उभय पक्षों के तर्कों के आलोक में अभियोजन की तरफ से अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त पर लगाये गये आरोपों को विवेचना करने से स्पष्ट है कि अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत साक्षी सं0 1 विकास कुमार सिंह जो इस केस के सूचक हैं, ने अपने मुख्य परीक्षण के दौरान कथन किया है कि गुप्त सूचना पर पुलिस बल के साथ मैं घ ाटनास्थल पर पहुंचा जहां पर अभियुक्त रितेश कुमार उपाध्याय एवं साधू महतो को दो मोटर साईकिल के साथ पकड़ा गया। प्रतिपरीक्षण में इन्होने कथन किया है कि मैंने जो मोटरसाईकिल बरामद किया था, उसका रंग मुझे अभी याद नहीं है। साधू महतो के बारे में मुझे और कुछ जानकारी नहीं है। दोनों अभियुक्तगण द्वारा गाड़ी का कागज मांगने पर प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे पता चला है कि वह गाड़ी चोरी का है। इस संबंध में अभियोजन द्वारा अभिलेख पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है कि गाड़ी चोरी की है। अभियोजन साक्षी 2 सिपाही श्याम बाबू, साक्षी सं0 3 सिपाही धर्मपाल यादव एवं साक्षी सं0 4 सिपाही अमरनाथ साह तीनों साक्षियों ने अपने मुख्य परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में

अभियुक्तों को पहचानने से इंकार किया है और कहा है कि आज तक नहीं पहचान पाया कि घटना किसने कारित किया। साथ ही जप्ती सूची के गवाहों को न्यायालय के सामने गवाही के लिये प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण अभियोजन की सारी कहानी, घटना तथा घटनास्थल संदिग्ध हो जाती है। प्रस्तुत मामले में विवेचक को अभियोजन की तरफ से परीक्षित नहीं कराया गया है, जो इस वाद के महत्वपूर्ण साक्षी थे। उपरोक्त अभियोजन साक्षी के साक्ष्य के विवेचन से यह स्पष्ट है कि किसी भी साक्षी ने अभियोजन के कथन को साबित नहीं किया है। इस प्रकार से अभियोजन अभियुक्त पर लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह के छाया के परे साबित करने में पूरी तरह से असफल रहा है। इसलिए विचारण के अभियुक्त अपने उपर लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त होने योग्य हैं।

आदेश

अतः विचारण के एकमात्र अभियुक्त **साधू महतो** को आरोप अंतर्गत धारा– 413/414/34 भा0द0वि0 के आरोप से संदेह का लाभ प्रदान करते हुए **दोषमुक्त** करता हूं एवं इनके जमानतदारों को बंध–पत्र के दायित्व से मुक्त करता हूं। अभियुक्तगण को निर्देश दिया जाता है कि वह धारा–437(A) द0प्र0स0 के अनुपालन में दस हजार का व्यक्तिगत बंध–पत्र प्रस्तुत करें।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

सारण, दिनांकित – 26/03/2026

(अम्बिका प्रसाद चौधरी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एकादश
सारण, छपरा।

निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

सारण, दिनांकित – 26/03/2026

(अम्बिका प्रसाद चौधरी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एकादश
सारण, छपरा।

Session Trial-427/2022
(9)

फार्म – सी

अभियोजन/बचाव पक्ष/ न्यायालय साक्षियों की सूची

(A) अभियोजन के तरफ से –

अभियोजन साक्षी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सिय साक्षी व अन्य
साक्षी संख्या–1	विकास कुमार सिंह	सूचक
साक्षी संख्या–2	श्याम बाबू	स्वतंत्र साक्षी
साक्षी संख्या–3	धर्मपाल यादव	स्वतंत्र साक्षी
साक्षी संख्या–4	अमरनाथ साह	स्वतंत्र साक्षी

(B) बचावपक्ष के तरफ से साक्षी – बचावपक्ष के तरफ से कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया।

(C) न्यायालय साक्षी– कोई नहीं।

अभियोजन/बचावपक्ष/न्यायालय प्रदर्श की सूचीः–

(A) अभियोजन के तरफ से –

क्रम सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श पी–1	स्वलिखित ब्यान पर सूचक विकास कुमार सिंह का हस्ताक्षर
2	प्रदर्श पी–2	जप्ती सूची

(B) बचावपक्ष के तरफ से –कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(C) न्यायालय प्रदर्श – कुछ नहीं।

(D) वस्तु प्रदर्श–कुछ नहीं।

दिनांक – 26/03/2026

(अम्बिका प्रसाद चौधरी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एकादश
सारण, छपरा।